न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 47/2019 राजस्व अपील

1. सीताराम पुत्र श्री नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 8.2.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम सीताराम प्रकरण संख्या 119/2019 अ. धारा 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 15.01.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट नें सम्वत 2075 रबी में ग्राम गांवडी में स्थित आराजी खसरा नं. 94 रकबा 0.40 है. किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलान्ट को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा शास्ति राशि जुर्माने की सजा आरोपित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा के उक्त निर्णय दिनांक 8.2.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा का निर्णय जेर कानून नियम, उप नियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थी अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं हुई न ही नोटिस तामील हुआ। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट ने कौनसी फसल काश्त की है ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य का उल्लेख किया है।

प्रति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया है और ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट एक्जिबिट ही हुई है। अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज व प्रलेख नहीं है जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित प्रश्नगत चरागाह भूमि आराजी खसरा नं. 94 रकबा 0.40 है. पर से कब्जा हटा लिया जाना एवं भविष्य में उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 8.2.2019 में से एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित प्रश्नगत चरागाह भूमि आराजी खसरा नं. 94 रकबा 0.40 है. पर गेहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 8.2.2019 को बेदखल करने, 50 गुणा शास्ति कायम करने एवं एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट के जरिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने पर अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि आराजी खसरा नं. 94 रकबा 0.40 है. ग्राम गांवडी तहसील सिकराय पर से कब्जा हटा लिया जाना एवं भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि आराजी खसरा नं. 94 रकबा 0.40 है. ग्राम गांवडी तहसील सिकराय पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.2.2019 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official